



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 64]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 जनवरी 2018—माघ 7, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ-ए-3-90-2017-1-पांच-(21)

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2018

मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अध्यादेश, 2018 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश सरकार निम्न लिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर नियम, 2018 है।
- (2) ये नियम 29 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं -

- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(ख) "अध्यादेश" से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अध्यादेश, 2018;

(ग) "विक्रय मूल्य" से अभिप्रेत है, मोटर स्पिरिट के विक्रय के लिए किसी व्यापारी को देय ऐसी रकम, या कोई अन्य प्रतिफल जिसमें से साधारण व्यापार प्रथा के अनुसार बट्टे के रूप में अनुज्ञात की गई कोई राशि कम कर दी गई है, किन्तु जिसमें माल भाड़े या परिदान के खर्चे या प्रतिष्ठान के खर्चे को, जबकि ऐसा खर्च अलग से (प्रभारित) किया गया है, छोड़कर माल के परिदान के समय या उसके पूर्व उसके संबंध में व्यापारी द्वारा की गई किसी बात के लिए प्रभारित की गई कोई राशि सम्मिलित है:

परन्तु मोटर स्पिरिट के विक्रय मूल्य के रूप में नियम 3 में विहित आईल कंपनियों द्वारा प्राप्त किए गए या प्राप्त किए जाने योग्य मूल्यवान प्रतिफल की रकम उस मूल्य के बराबर होनी समझी जाएगी जिस पर कि रिटेल आउटलेट द्वारा उपभोक्ताओं को मोटर स्पिरिट का विक्रय किया जाए।

- (घ) 'वेट नियम' से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश वेट नियम, 2006।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो यथास्थिति मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अध्यादेश, 2018 या मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क. 20 सन् 2002) या मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में उनके लिये दिये गये हैं।

3. उपकर का भुगतान :

- (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी उपकर का भुगतान उस माह, जिससे भुगतान किया जाने वाला उपकर संबंधित है, के अवसान के दस दिन के भीतर करेगा।
- (2) इस उप नियम में विहित शर्तों के अध्याधीन जब निम्नलिखित आईल कम्पनी में से किसी के द्वारा किसी अन्य निम्नलिखित कम्पनी (जिन्हें क्रेता कम्पनी कहा जाएगा) को मध्यप्रदेश राज्य के भीतर पुनर्विक्रय हेतु विक्रय किए जाने वाले मोटर स्पिरिट के आवर्त पर कोई उपकर देय नहीं होगा :

(एक) इंडियन ऑईल कार्पोरेशन लिमिटेड

(दो) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

(तीन) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

(चार) एस्सार ऑईल लिमिटेड

(पांच) रिलाइंस पेट्रोलियम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

(छह) भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड

- (3) शर्तें, जिनका पालन किया जाए :

(क) इस उप नियम में उल्लिखित किसी कम्पनी द्वारा मोटर स्पिरिट का विक्रय क्रेता कम्पनी को किया गया हो।

(ख) क्रेता कम्पनी प्ररूप ए-1 में विक्रेता कम्पनी को घोषणा पत्र देगा जिसमें यह कथन करेगा कि जो मोटर स्पिरिट क्रय किया गया है, वह क्रय करने के तीन माह के भीतर मध्यप्रदेश राज्य में विक्रय किया जाएगा और ऐसी क्रेता कम्पनी अपने विक्रय के

टर्नओव्हर में ऐसे पुनर्विक्रय को सम्मिलित करेगा और ऐसे विक्रय के टर्नओव्हर पर उपकर का भुगतान करेगा।

(ग) जहाँ उप नियम (2) के अध्याधीन मोटर स्पिरिट के विक्रय के टर्नओव्हर पर उपकर प्रभारित नहीं है और कम्पनी द्वारा क्रय किए गए मोटर स्पिरिट का विक्रय मध्यप्रदेश राज्य के भीतर नहीं किया गया है, ऐसे मोटर स्पिरिट के क्रय के टर्नओव्हर पर क्रेता कम्पनी द्वारा उपकर देय होगा।

4. विवरणियाँ प्रस्तुत करना—

अध्यादेश की धारा 3 के अधीन उपकर चुकाने के दायित्वाधीन प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी या इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को, वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिये, ऐसे तिमाही के अवसान होने के दस दिन के भीतर, प्ररूप बी-1 में, विवरणी प्रस्तुत करेगा। विवरणी के साथ चालान की एक प्रति ऐसी विवरणी के अनुसार देय उपकर के भुगतान के सबूत के रूप में संलग्न करेगा:

परन्तु अध्यादेश के प्रवृत्त होने की तारीख से प्रारंभ होने वाली तथा उसी तिमाही के, जिसमें अध्यादेश प्रवृत्त हुआ है, अंतिम दिन को समाप्त होने वाली कालावधि के लिये एक पृथक् विवरणी उक्त तिमाही के अवसान के पंद्रह दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

5. भुगतान का तरीका :

प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी उसके द्वारा देय उपकर, ब्याज, शास्ति या अन्य किसी राशि का भुगतान प्ररूप सी-1 में अथवा डेट नियम में विहित रीति के अनुसार किया जाएगा। यह राशि शासकीय कोषालय में सी.बी. 0045 — वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क — 112 उपकर से प्राप्तियों अन्य अधिनियम के अंतर्गत (1)(3) में भुगतान की जाएगी।

6. कर निर्धारण आदेश का प्ररूप :

उपकर, ब्याज एवं शास्ति का कर निर्धारण आदेश प्ररूप डी-1 में होगा।

7. मांग की सूचना का प्ररूप:

मांग की सूचना का प्ररूप ई-1 में होगा।

प्ररूप ए-1
(नियम 3 देखिए)

मैं, पदनाम पता
प्रमाणित करता हूँ कि—

- (1) उक्त कम्पनी एक टिन धारित व्यवसाई है जिसका टिन प्रभावशील दिनांक
- (2) उक्त कम्पनी द्वारा मोटर स्पिरिट का क्रय से इन्वाइस नंबर दिनांक से किया गया है।
- (3) क्रय किए गए मोटर स्पिरिट का विक्रय क्रय दिनांक के 3 माह के भीतर मध्यप्रदेश राज्य में के द्वारा कर दिया जाएगा।
- (4) उपरोक्त उल्लिखित मोटर स्पिरिट के विक्रय के टर्नओव्हर रिटर्न में सम्मिलित किया जाएगा ऐसे टर्न ओव्हर पर उपकर का भुगतान किया जाएगा।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
पदनाम

फॉर्म बी-1
(नियम 4 देखिए)

मोटर स्पिरिट आवर्त और देय उपकर की विवरणी

1. नाम:
2. पता:
3. पंजीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक:
4. अवधि: से
5. मोटर स्पिरिट की बिक्री का सकल आवर्त -
6. पंजीकृत डीलर जिससे मोटर स्पिरिट क्रय की गई है, का विक्रय मूल्य, इस शर्त के साथ कि, बिक्री करने वाले पंजीकृत डीलर ने उक्त बिक्री मूल्य का उपकर अदा कर दिया है
7. मोटर स्पिरिट की बिक्री -

- (एक) मध्य प्रदेश राज्य के बाहर
(दो) अंतरराज्यीय व्यापार के अनुक्रम में
(तीन) भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में
(चार) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 की केंद्रीय अधिनियम संख्या 28) के प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाई को की गई बिक्री।

8. कोई अन्य कटौती
9. मोटर स्पिरिट बिक्री का करयोग्य आवर्त [(5) - (6 + 7 + 8)]
10. देय उपकर की दर
11. देय उपकर की राशि
12. वापसी समायोजन की राशि-
13. कोई अन्य जमा
14. भुगतान किये गए उपकर की राशि-
15. चालान का विवरण -

क्रमांक	अवधि	चालान क्रमांक	चालान दिनांक	राशि
कुल				

मैं, सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान:

प्रधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

दिनांक -

फॉर्म सी-1

[नियम 5 देखिए]

मध्य प्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अध्यादेश, 2018

(0045 - वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क - 112 उपकर प्राप्ति या अन्य अधिनियम (1)(3))

उपकर / शास्ति / ब्याज का चालान के बैंक की शाखा/ शासकीय कोषागार/ उप-कोषागार को भुगतान किया गया।

रुपये (शब्दों में)

जिसके द्वारा निवेदन किया गया	डीलर का नाम,पता, TINTINTIN टिन (यदि कोई हो) जिसकी ओर से राशि का भुगतान किया जा रहा हो	खाते में भुगतान	राशि (अंको में प्रविष्टि की जाए)
1	2	3	4
कुल राशि (अंकों में)		(क) विवरणी अवधि से के अनुसार उपकर (ख) निर्धारण के उपरांत उपकर की मांग — वर्ष प्रकरण क्रमांक निर्धारक अधिकारी (ग) ब्याज (घ) शास्ति (ड) विविध	
कुल राशि (शब्दों में)			

दिनांक -

डीलर के हस्ताक्षर

ट्रेजरी या बैंक में उपयोग के लिए		
1. प्राप्त भुगतान रुपये (अंकों में) रु (शब्दों में)		
2. प्रविष्टि की तिथि चालान संख्या		
कोषाध्यक्ष	लेखाकार	कोषालय अधिकारी / एजेंट या प्रबंधक

फॉर्म- डी-1

(नियम 6 देखिए)

उपकर निर्धारण और/या ब्याज और/या शास्ति आदेश

1. प्रकरण क्रमांक:
2. व्यवसाई का नाम :
3. पता:
4. टिन
5. निर्धारक अधिकारी का नाम और पदनाम
6. आदेश का दिनांक
7. निर्धारण की अवधिसे
8. मोटर स्परिट की बिक्री का सकल आवर्त
9. पंजीकृत डीलर जिससे मोटर स्परिट क्रय की गई है, का विक्रय मूल्य, इस शर्त के साथ कि, बिक्री करने वाले पंजीकृत डीलर ने उक्त बिक्री मूल्य का उपकर अदा कर दिया है
10. मोटर स्परिट की बिक्री -
 - (एक) मध्य प्रदेश राज्य के बाहर
 - (दो) अंतरराज्यीय व्यापार के अनुक्रम में
 - (तीन) भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में
 - (चार) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 की केंद्रीय अधिनियम संख्या 28) के प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाई को की गई बिक्री।
11. कोई अन्य कटौती
12. मोटर स्परिट बिक्री का कर योग्य आवर्त [(8) - (9 + 10 + 11)]
13. वह दर जिस पर उपकर अदा किया जाना है
14. देय उपकर की राशि -
15. देय ब्याज
16. देय शास्ति
17. देय अन्य राशि
18. कुल देय राशि [14 + 15 + 16 + 17]
19. चालान द्वारा जमा की गई राशि
- 19अ. चालान का विवरण -

क्रमांक	अवधि	चालान क्रमांक	चालान दिनांक	राशि
कुल				

20. वापसी समायोजन आदेश की राशि
21. अन्य कोई जमा
22. जमा की जाने वाली राशि (मांग) [18 - (19 + 20 + 21)]

स्थान.....
दिनांक-

निर्धारक अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम

फार्म - ई-1

(नियम -7 देखिए)

मांग के लिए सूचना पत्र

प्रति,

TIN टिन:

महोदय ,

आपके द्वारा कुल राशि रूपए का भुगतान निम्नानुसार किया जाना आवश्यक है -

1. विवरणी के अनुसार जमा नहीं की गई उपकर की राशि रूपए

अवधि.....से

2. निर्धारण/पुनःनिर्धारण/पुनरीक्षण/अपील आदेश के अनुसार देय उपकर/ शास्ति / ब्याज की राशि रूपए.....अवधि.....से.....

आपको निर्देशित किया जाता है कि बकाया राशि को शासकीय कोषालय में 30 दिवस के भीतर जमा करावे अन्यथा भू-राजस्व के बकाया के तौर पर बसूली की कार्यवाही की जावेगी ।

स्थान.....

हस्ताक्षर

दिनांक-

पदनाम

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 अरुण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2018

क्र. एफ-ए-3-90-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-90-2017-1-पांच (21), दिनांक 27 जनवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, उपसचिव.

No. F A 3-90-2017-1-V(21)

Bhopal, the 27th January 2018

In exercise of the powers conferred by section 15 of the Madhya Pradesh Motor Spirit Upkar Adyadesh, 2018, the Government of Madhya Pradesh hereby makes the following rules, namely :-

1. Short Title and Commencement.-

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Motor Spirit Upkar Niyam, 2018.
- (2) They shall come into force on and from29..... January, 2018.

2. Definitions.-

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,
 - (a) **"Form"** means a form appended to these rules;
 - (b) **"Ordinance"** means the Madhya Pradesh Motor Spirit Upkar Adhyadesh, 2018;
 - (c) **"Sale price"** means the amount or any other consideration payable to a dealer for the sale of Motor Spirit less any sum allowed as discount according to ordinary trade practice but inclusive of any sum charged for any thing done by the dealer in respect of the Motor Spirit at the time of or before delivery thereof other than the cost of freight or delivery when such cost is separately charged:

Provided that the amount of Valuable consideration received or receivable by Oil companies, as specified in Rule 3, for the sale of Motor Spirit, shall be deemed to be equivalent to the price, on with the retail outlets shall sell Motor Spirit to the consumer.

- (d) **"VAT Rules"** means the Madhya Pradesh VAT Rules, 2006.

- (2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Madhya Pradesh Motor Spirit Upkar Adhyadesh, 2018 or Madhya Pradesh VAT Act, 2002 (No. 20 of 2002) or the Madhya Pradesh VAT Rules, 2006 as the case may be.

3. Payment of cess:-

- (1) Every registered dealer shall, pay cess monthly within 10 days of expiry of the month to which the cess to be paid relates.
- (2) Subject to the conditions specified in this sub-rule, no cess shall be payable on the turnover of sales of Motor Spirit by any of the following oil companies when such sales is made to any other of the following oil companies (hereinafter referred to as the "purchasing company") for the purpose of resale within the State of Madhya Pradesh by the purchasing company :
- (a) Indian Oil Corporation Ltd.
 - (b) Bharat Petroleum Corporation Ltd.
 - (c) Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
 - (d) Essar Oil Ltd.
 - (e) Reliance Petroleum Industries Ltd.
 - (f) Bharat Oman Refinery Ltd.
- (3) Conditions to be followed -
- (a) Motor Spirit is sold by one of these companies to the purchasing company, which is mentioned in this sub-rule;
 - (b) the purchasing -company furnishes to the selling dealer an undertaking in Form A-1 stating, inter-alia, that the Motor Spirit so purchased will be resold by it within the State of Madhya Pradesh within three months of such purchase and such purchasing company will include such resale in its turnover of sales and pay the cess on such turnover of sales;
 - (c) Where under sub-rule (2), no cess is levied on turnover of sales of Motor Spirit and the Motor Spirit so purchased by the company is not sold within the State of Madhya Pradesh, the cess shall be payable by the purchasing company on the turnover of purchases of Motor Spirit.

4. Furnishing of returns.-

Every registered dealer liable to pay cess under Section 3 of the Ordinance shall furnish to the appropriate Commercial Tax Officer or any other officer authorised by the Commissioner in this behalf, a return in Form B-1 for every quarter of the year within ten days of the expiry of such quarter. The return shall be accompanied by a copy of challan in proof of the payment of cess payable according to such return:

Provided that a separate return for the period commencing from the date of coming in force of the Ordinance and ending with the last day of the quarter in which the Ordinance comes into force shall be furnished within fifteen days of the expiry of the said period.

5. Method of Payment.-

Every Dealer shall pay the amount of cess, penalty, interest or any others amount by a challan in prescribed Form C-1 or in the manner prescribed in VAT Rules. The amount shall be paid into the Government Treasury under head 0045-other taxes and duties on commodities and service - 112 - Receipts from cesses under other Acts (1) (3).

6. The assessment order Form.-

The order of assessment of cess, interest and penalty shall be in Form D-1.

7. The demand notice.-

The notice of demand shall be in Form E-1.

FORM A-1
(see rule 3)

I, Designation of
(address) do certify that

(1) The said Company is a dealer holding TIN w.e.f.

(2) The said Company has purchased Motor Spirit from vide its invoice
No. dated.....

(3) The motor spirit so purchased will be sold byin the State of Madhya Pradesh within
Three months from the date of its purchase.

(4) The turnover of sales of Motor Spirit mentioned above shall be, included in return
and thecess shall be paid by on such turnover.

Place:

Signature

Date:

Designation

FORM- B-1
(see rule 4)

Return showing turnover of Motor Spirit and cess payable

1. Name :
2. Address :
3. Registration Certificate No:
4. Period : From to
5. Gross turnover of sales of Motor Spirit.
6. Sale price of Motor Spirit at the hands of the registered dealer from whom it has been purchased, subject to condition that the selling registered dealer has paid cess of such sale price
7. Sales of Motor Spirit :
 - (i) Outside the state of Madhya Pradesh
 - (ii) In the course of interstate trade
 - (iii) In the course of export of the goods out of india
 - (iv) Made to unit located in a Special Economic Zone notified by the Government under the provisions of the Special Economic Zones Act, 2005 (Central Act No.28 of 2005)
8. Any Other deduction
9. Taxable turnover of sales of Motor Spirit [(5)-(6+7+8)]
10. Rate at which Cess payable
11. Amount of Cess payable
12. Amount of refund adjustment order
13. Any other credit
14. Amount of Cess Paid

15. Description of challan

S. No.	Period	Challan Number	Challan Date	Amount
Total				

I solemnly declare that the above information is true to the best of my knowledge and belief.

Place:

Signature of authorized person

Date:

Form C-1

[See Rule 5]

CHALLAN

Madhya Pradesh Motor Spirit Upkar Adyadesh, 2018

(0045-other taxes and duties on commodities and service - 112 - Receipts from cesses under other Acts (1) (3))

Challan of cess/penalty/Interest paid to Government Treasury/sub-treasury/branch of bank of Under Rs. (In Words)

By whom tendered	Name and address of the dealer and TIN (if any) on whose behalf money is paid	Payment on account	Amount (to be entered in figures)
1	2	3	4
		(a) cess according to return for period from to	
		(b) cess demanded after assessment for the year case No assessed by	
		(c) Interest	
		(d) Penalty	
		(e) Miscellaneous	
	Total Rs. (in figures)		
Total Rs. (in words)			

Dated

Signature of the

Dealer

For use in the Treasury or Bank		
1. Received payment of Rs. (in figures) Rs. (in words)		
2. Date of Entry Challan No.		
Treasurer	Accountant	Treasury Officer/Agent or Manager

FORM D-1

(see rule 6)

Assessment of cess and/or interest and/or penalty order

1. Case Number :
2. Dealers Name :
3. Address :
4. TIN :
5. Assessing Officers name and designation :
6. Date of Order :
7. Period of assessment : From to
8. Gross turnover of sales of Motor Spirit
9. Sale price of Motor Spirit at the hands of the registered dealer from whom it has been purchased, subject to condition that the selling registered dealer has paid cess of such sale price
10. Sales of Motor Spirit
 - (i) Outside the state of Madhya Pradesh
 - (ii) In the course of interstate trade
 - (iii) In the course of export of the motor spirit out of india
 - (iv) Made to unit located in a Special Economic Zone notified by the Government under the provisions of the Special Economic Zones Act,2005 (Central Act No. 28 of 2005)
11. Any Other deduction
12. Taxable turnover of sales of Motor Spirit [(8)-(9+10+11)]
13. Rate at which cess payable.
14. Amount of Cess payable
15. Interest payable
16. Penalty payable

17. Any other Amount payable
18. Total Amount payable [14+15+16+17]
19. Amount paid by challan.
20. Description of challan

S. No.	Period	Challan Number	Challan Date	Amount
Total				

21. Amount of refund adjustment order
22. Any other credit .
23. Amount to be paid (Demand) [18-(19+20+21)].

Place:

Signature of assessing
officer/designation

Date

FORM E-1

(see rule 7)

Notice for demand

TIN :

Sir,

You are required to pay the

as under

1. Amount of cess unpaid :

Rs

For the period

to

2. Amount of cess / penalty/ interest payable

Rs

as per assessment/ reassessment/ revision / Appeal order

For the period

to

You are hereby directed to pay the outstanding dues of Rs.

in to the Government

Treasury within 30 days from the receipt failing which the same will be recovered as an arrear of land revenue.

Place:

Signature

Date:

Designation

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2018

क्र. एफ-ए-3-90-2017-1-पांच-(22).—मध्यप्रदेश मोटर स्पिस्ट उपकर अध्यादेश, 2018 की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि मोटर स्पिस्ट पर उपकर, दिनांक 29 जनवरी 2018 से आगामी अवधि तक, अन्यथा अधिसूचित किये जाने तक, उद्गृहीत किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2018

क्र. एफ-ए-3-90-2017-1-पांच-(22).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-90-2017-1-पांच-(22), दिनांक 27 जनवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 27th January 2018

No. F.A 3-90-2017-1-V(22).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Motor Spirit Upkar Adyadesh, 2018, the State Government, hereby, notifies that the Upkar on Motor Spirit shall be levied from 29th of January, 2018 till further period, unless notified otherwise.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.